भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

'31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन' वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश सरकार को 27 मार्च 2023 को भेजा गया तथा 05 अप्रैल 2023 को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पांच अध्यायों में समाविष्ट हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रदान किया गया है।

राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं:

राजकोषीय प्रबंधन

- राज्य सरकार ने घाटे से उबरने के उपायों एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य प्रदान करने के लिए अप्रैल 2005 में (2011 में संशोधित) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। घाटे व ऋण स्तर हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया।
- 2021-22 के दौरान सरकार 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को नियंत्रित करने में असमर्थ रही हालांकि राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों व बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा।
- वर्ष 2021-22 के दौरान 2020-21 का राजस्व घाटा (₹ 97 करोड़) राजस्व अधिशेष (₹ 1,115 करोड़) में बदल गया। राजकोषीय घाटा (₹ 5,245 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 5,700 करोड़) की तुलना में ₹ 455 करोड़ घट गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2020-21 के ₹ 1,228 करोड़ से घट कर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 604 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार के वित्त

- 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,871 करोड़ (11.58 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान हुई वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश में ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 *प्रतिशत*), राज्य के स्व कर राजस्व में ₹ 1,631.27 करोड़

(20.18 *प्रतिशत*) एवं कर-भिन्न राजस्व में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 *प्रतिशत*) की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

- पांच वर्ष की अवधि (2017-22) में कुल व्यय में ₹ 11,290.53 करोड़ (36.06 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 3,437.63 करोड़ (8.78 *प्रतिशत*) बढ़ गया। वर्ष 2017-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.60 *प्रतिशत* से 25 *प्रतिशत* के मध्य रहा। वर्ष 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में 33.79 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूंजीगत व्यय में 50.47 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 767.71 करोड़ **(**3.42 *प्रतिशत***)** थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (65-71 *प्रतिशत***)** एवं राजस्व प्राप्तियों (62**-**70 *प्रतिशत***)** का एक बड़ा अंश दर्ज किया गया।
- विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2017-22 के दौरान इसमें ₹ 2,273.71 करोड़ (60.54 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान पूंजीगत परिव्यय (₹ 6,029.38 करोड़) विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.22 करोड़) से ₹ 720.16 करोड़ (13.56 *प्रतिशत*) बढ़ गया।
- 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारिताओं में किए उसके कुल निवेशों (₹ 4,913 करोड़) पर 3.39 *प्रतिशत* का प्रतिफल अर्जित किया तथा उसके उधारों पर 7.03 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।
- राज्य का कुल बकाया ऋण/देयताएं 2017-18 के ₹ 51,030.51 करोड़ से ₹ 18,092.07 करोड़ बढ़कर ₹ 69,122.58 करोड़ (₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर (2020-22) क्योंकि वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक प्राप्त ऋण) हो गई तथा 35.45 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से आंतरिक ऋण (₹ 10,784.56 करोड़), ऋण व अग्रिम (₹ 1,259.76 करोड़) एवं लोक लेखा देयताओं (₹ 6,047.75 करोड़) में वृद्धि था।
- ब्याज सहित ₹ 68,630 करोड़ (मूलधन: ₹ 45,297 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 23,333 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 10 *प्रतिशत* (₹ 6,952 करोड़) अगले एक वर्ष में चुकाने योग्य है, 40 *प्रतिशत* (₹ 27,677 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में चुकाने योग्य है जबकि शेष 50 *प्रतिशत* (₹ 34,001 करोड़) पांच वर्ष के पश्चात् चुकाने होंगे। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,926 करोड़ होगा। ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,766 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के ₹ 1,043.74 करोड़ को छोड़कर) है।

बजटीय प्रबंधन

- वर्ष 2021-22 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 55,714.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 50,129.36 करोड़ (90 *प्रतिशत*) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,585.36 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

- 2021-22 के दौरान 11 अनुदानों (राजस्व-दत्तमत/पूंजीगत-दत्तमत) के तहत 13 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 647.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। 12 मामलों में ₹ 876.14 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 1,706.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे।
- 15 मामलों में पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी।
- 13 अनुदानों एवं दो विनियोजनों में ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका के प्राधिकार से अधिक किया गया। 2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य को राज्य विधायिका से विनियमन करवाना अपेक्षित था।
- वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। छः अनुदानों के तहत अंतिम तिमाही (50 *प्रतिशत* से 71 *प्रतिशत* के मध्य) एवं मार्च 2022 (12 *प्रतिशत* से 65 *प्रतिशत* के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय किया गया।

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

- राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानकों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था।
- ₹ 4,752.14 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 3,619 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,359.15 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,796 उपयोगिता-प्रमाणपत्र 2015-16 से 2019-20 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 4,752.14 करोड़ की राशि में से 81.43 *प्रतिशत* चार विभागों से सम्बंधित थे - पंचायती राज हेतु 33.25 *प्रतिशत* (₹ 1,580.03 करोड़); शहरी विकास हेतु 23.87 *प्रतिशत* (₹ 1,134.45 करोड़); आयुर्वेद (आयुष) हेतु 13.42 *प्रतिशत* (₹ 637.98 करोड़) तथा ग्रामीण विकास हेतु 10.89 *प्रतिशत* (₹ 517.42 करोड़)।
- अग्रिमों की पहचान/ उन्हें अलग करने के किसी उपयुक्त तंत्र के बिना सार आकस्मिक बिल के माध्यम से अग्रिमों का आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी का अभाव सरकारी धन के दुरूपयोग/ दुर्विनियोजन की संभावनाओं को बढ़ाता है।
- इसी भांति, स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- वर्ष 2021-22 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,255.53 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) कुल व्यय का 5.34 *प्रतिशत* थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई। इसी भांति 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,957.37 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) का 5.25 *प्रतिशत* थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

- 31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यम थे। इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) एवं राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम शामिल थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम व चार सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां हैं।
- 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 26 कार्यशील उद्यमों में से 10 कार्यशील उद्यमों ने 2020-21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उद्यमों द्वारा अर्जित ₹ 28.18 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹ 21.47 करोड़ का लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों ने या तो अपने प्रथम लेखे/ लाभ व हानि लेखे नहीं बनाए थे अथवा उनकी आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो उद्यमों ने ₹ 0.71 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 0.35 करोड़ एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: ₹ 0.36 करोड़)। 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए उनके लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों ने ₹ 2.42 करोड़ का लाभांश राज्य सरकार को नहीं चुकाया/ प्रदान नहीं किया। लाभ अर्जित वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बाकी के चार उद्यम राज्य सरकार की नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान करने के योग्य नहीं थे।
- 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 10 कार्यशील उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 16.45 *प्रतिशत* था। वर्ष 2019-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील 26 उद्यमों की निवल आय ऋणात्मक होने के कारण इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों द्वारा उठाई ₹ 498.55 करोड़ की कुल हानि में से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ₹ 40.23 करोड़ की हानि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी क्रमशः ₹ 185.32 करोड़, ₹ 132.06 करोड़ एवं ₹ 128.24 करोड़ की हानि के भागीदार बने।
- राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों में ₹ 4,378.24 करोड़ की संचित हानि पाई गई। इनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उद्यमों में 30 सितम्बर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार ₹ 498.55 करोड़ की हानि हुई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 में से 9 उद्यमों का नेटवर्थ संचित हानियों के कारण पूरी तरह समाप्त हो गया एवं उनका नेटवर्थ या तो शून्य या ऋणात्मक था।